ग्राम पंचायत, मूलकोटी विकास खण्ड मशोबरा जिला शिमला के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 4/2013 से 3/2016

भाग—एक

1 **प्रस्तावना**

(क) ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5) C (15) LAD / 2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0, को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत मूलकोटी विकास खण्ड मशोबरा जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत मे निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थेः—

प्रधान

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री निरमा राम	1.4.13 से 22.1.16
2	श्रीमति रूचिका वर्मा	23.1.16 से लगातार

सचिव

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमति उषा	1.4.13 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :— ग्राम पंचायत मूलकोटी के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र0 सं0	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि {लाखों में}
1	**9**	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	**0.13**
2	**10**	13वें व 14वें वितायोग से प्राप्त अनुदान का उपयोग न करना	**3.54**
3	**11**	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टाक स्टोर का क्रय करना	**0.66**

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत मूलकोटी विकास खण्ड मशोबरा जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राम सिहं चौहान, अनुभाग अधिकारी और श्री मनजीत भाटिया, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 6.7.2016, 11.7.16, 12.7.16 व 13.7.2016 को ग्राम पंचायत, मूलकोटी के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः 12/13, 3/15, 8/15 तथा 3/14, 6/14, 8/15 मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 उत्तरदायी नही होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत मूलकोटी विकास खण्ड मशोबरा, जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹8000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि ₹8000 को रेखांकित बैंक ड्राफट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं0 1 दिनांक 12.7.16 द्वारा सचिव, पंचायत मूलकोटी से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत मूलकोटी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–1** पर संलग्न है :–

(क) स्व स्त्रोत :– ग्राम पंचायत मूलकोटी के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक स्व स्त्रोतों **(खाता ''क'')** की वित्तीय स्थिति का विवरण

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	0	86423	**86423**	23116	**63307**
2014–15	63307	89264	**152571**	25303	**127268**
2015–16	127268	66048	**193316**	28438	**164878**

(ख) अनुदानः– ग्राम पंचायत मूलकोटी के अवधि 4/2013 से 3/2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति **(खाता ''ख'')** का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	1029787.03	2711063	**3740850**	2286449	**1454401.01**
2014–15	1454401.03	1788236	**3242637**	2245239	**997398.03**
2015–16	997398.03	1915040	**2912438**	1585667	**1326770.28**

(i) अनुदानों का विस्तृत विवरण

अनुदान का नाम	वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
विविध अनुदान	2013–14	937669.28	1038918	1976587	654296	**1322291.28**
	2014–15	1322291.28	647376	**1969667**	984668	**984999.28**
	2015–16	984999.28	919143	**1904142**	577372	**1326770.28**

(ii)

अनुदान का नाम	वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
मनरेगा	2013–14	92117.75	1672145	**1764263**	1632153	**132109.75**
	2014–15	132109.75	1140860	**1272970**	1260571	**12398.75**
	2015–16	12398.75	995896.60	**1008295**	1008295	**0**

5 निवेश

सचिव ग्राम पंचायत, मूलकोटी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पंचायत निधि में से कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नहीं थी ।

6 रोकड वही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

(क) ग्राम पंचायत मूलकोटी की रोकड वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड वही व बैंक खातों का मिलान नही किया गया था, जबकि हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरूद्व होने के कारण अनियमित है।

अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड बहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) बैक समाधान विवरणी

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत, मूलकोटी द्वारा हि0 प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 15(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की जा रही है, जिसके कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.3.2016 को निम्न विवरणानुसार रोकड़ वही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹8639 का अन्तर था ।

कम सं0	**खाता**	**अन्तशेष**
	रोकड वही की वित्तीय स्थिति के अनुसार	
1	रोकड वही के अनुसार खाता ''क''–पैरा 4 (क)	**164878.00**
2	रोकड वही के अनुसार खाता ''ख''–पैरा 4 (ख)	**1326770.28**
	कुल योग	**1491648.28**
बैंक खातों में उपलब्ध अन्तशेष (परिशिष्ट –2)		**1483009.28**
रोकड़ वही व बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर (क–ख)		**8639**

अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड बहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 वित्तीय नियमों की अनुपालना न करना

(क) रोकड वही का निर्माण नियमानुसार न करना

ग्राम पंचायत मूलकोटी की रोकड वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7 (1 से 3) की रोकड़ बही के निर्माण में पूर्ण अवहेलना की जा रही है। ग्राम पंचायत मूलकोटी के लेखों की पड़ताल में पाया गया कि पंचायत द्वारा पंचायत स्व स्त्रोत और समस्त प्रकार के अनुदानों हेतु दो रोकड़ बहियों का निमार्ण किया गया है जो कि नियम के विरूद्ध है। अतः नियमों के विरूद्ध दो रोकड बहियों का निर्माण करने बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) नियमों के विरूद्व चार बैंक बचत खातों का खोला जाना

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7(1 व 2) के अनुसार पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है, जिसमें से खाता ''क'' में पंचायत के स्वयं संसाघनों से प्राप्त आय तथा खाता ''ख'' में प्राप्त समस्त अनुदानों को

जमा करवाए जाने का प्रावधान है, परन्तु ग्राम पंचायत मूलकोटी में दो के स्थान पर **परिशिष्ट –2** में वर्णित चार बैंक बचत खाते खोले गए हैं। अतः नियमों के विरूद्व खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए ।

8 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित निमय के अनुसार तैयार न करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करवाया जा रहा है। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

9 पंचायत राजस्व की ₹13965 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

सचिव, ग्राम पंचायत, मूलकोटी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–3)** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत के राजस्व में **₹13965** की वसूली शेष थी।

(क) सम्पती कर

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	4695	4755	9450	5850	3600
2014–15	3600	4995	8595	6435	2160
2015–16	2160	5025	7185	2220	**4965**

(ख) किराया

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	4000	6000	10000	7000	3000
2014–15	3000	6000	9000	3000	6000
2015–16	6000	6000	12000	3000	**9000**
		कुल योग (1+2)			**13965**

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करना सुनिश्चित की जाए।

10 13 वें व 14वें वितयोग से प्राप्त अनुदान ₹ 3.54 लाख का उपयोग न करना

पंचायत द्वारा 13वां व 14वां वितयोग से प्राप्त अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट–4}** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान की ₹ 354713 उपयोग हेतु शेष थी, जबकि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। इस प्रकार पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पडा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से समय अवधि की बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

11 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹66320 के स्टाक स्टोर का क्रय करना

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–5** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹66320 के स्टॉक स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टाक स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टाक स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 प्रत्यक्ष सत्यापन

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नही किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम **29 से 31** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं

किया गया था, जोकि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	––	103
2	मासिक बैंक समाधान विवरणी	––	15(1)
3	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
4	क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट	8	29(1)
5	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
7	स्टेशनरी रजिस्टर	28	72(1)(डी)

अतः इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 विविध अनियमितताएः–

(क) ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पदान करने हेतु हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही है।

(ख) वांछित अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

चयनित माह में निम्न अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। अतः उक्त अभिलेख को आगामी अंकेक्षण में दिखाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम सं0	माह	अभिलेख का नाम
1	6/14	माप पुस्तिका सं0 7566
2	8/15	वाउचर सं0 60 राशि 4152

(ग) वांछित अभिलेख को तैयार न करना

चयनित माह में मरनेगा के निम्न निर्माण कार्यों से सम्बन्धित कुशल मजदूर (मिस्त्री) के मस्ट्रोल व स्टाक रजिस्टर को तैयार नहीं किया था, जोकि अनियमित है। अतः यह अभिलेख को तैयार करके आगामी अंकेक्षण में दिखाने सुनिश्चित किए जाएं

क0सं0	माह	विवरण	राशि	रोकड वही की पृष्ठ सं0
1	3/14	मस्ट्रोल सं0 2589	15456	36
2	3/14	मस्ट्रोल सं0 2866,	18216	36

		2867		
3	6/14	मस्ट्रोल सं0 612	15092	42
4	8/15	C/O Danga on Road Khaneer Kanchi	7200	68 (Vr. Not supplied. No other detail given in cash book)
5	8/15	मस्ट्रोल सं0 1408	3794	68
6	8/15	मस्ट्रोल सं0 122, 467, 468, 474, 1979, 1122, 540	26558	71
7	6/14	मस्ट्रोल सं01005	1085	43
8	6/14	मस्ट्रोल सं0 1005	3038	43
9	6/14	मस्ट्रोल सं0 1431	2170	43
10	6/14	मस्ट्रोल सं0 675	2282	43
11	6/14	मस्ट्रोल सं01181,82	1793	43
12	6/14	मस्ट्रोल सं01181,82	2282	43
13	6/14	मस्ट्रोल सं0 1870	1467	43

(घ) मस्ट्रौल पर रखे गये मजदूरों को उनके द्वारा किये गये कार्य (कार्य प्रगति) से ₹36698 का अधिक भुगतान करना

नियमानुसार मस्ट्रौल पर रखे गये मजदूरों को जो भुगतान किया गया है उसके मुल्य के बराबर उनके द्वारा कार्य किया जाने अपेक्षित थे, अन्यथा उनका किये गये कार्य मूल्य के बराबर ही भुगतान किया जा सकता है। अंकेक्षण अवधि के चयनित माह में विभिन्न मस्ट्रौलों पर रखे गये मजदूरों को किये गये भुगतान तथा भुगतान की एवज में उनके द्वारा किये गये कार्य से सम्बन्धित अभिलेख की जांच में पाया गया कि मजदूरों को किये गये भुगतान को उचित ठहराने हेतु उनके द्वारा किये गये कार्य का मूल्यांकन हि0प्र0 वर्ष 1999 की मानक दरों पर लेबर प्रीमियम अनुसार बढ़ौतरी करके आंका गया व भुगतान को उचित ठहराया गया है, परन्तु इस कार्य के मुल्यांकन से नियमानुसार वांछित 10 प्रतिशत लाभ तथा 5 प्रतिशत ओबरहैड चार्जिज की कटौती नहीं की गई है। परिणाम स्वरूप अंकेक्षण अवधि के चयनित माह में मस्ट्रौल पर नियुक्त मजदूरों को किये गये भुगतान तथा उनके द्वारा किया गया कार्य से ₹36698 का अन्तर पाया गया जिसका विवरण **परिशिष्ट–6** पर दिया गया है। अतः नियमानुसार कटौती न करके कार्यप्रगति के साथ भुगतान को उचित न ठहराने का कारण स्पष्ट किए जाए व किये गये भुगतानों को उचित ठहराया जाये, अन्यथा अधिक किये गये भुगतान की उचित स्त्रोत से वसूली कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये व भविष्य में नियमों की अनुपालना कर भुगतान का किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(ड़) ठेकेदार से ₹4500 की संवैधानिक कटौतियॉ न करना

निर्माण कार्य के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार प्रतिभूति राशि, आयकर, बिक्री कर तथा लेबर सैस की अपेक्षित संवैधानिक कटौती जोकि निम्न विवरणानुसार **₹4500** बनती है ठेकेदार से नहीं की थी :–

Sr. No	Bill /Vr. No	month	Name of Item	Name of firm	Amount
1	105	3/14	C/O Road from Nawan to Ghyabu	Sanjay DangiH.Q. Mashobra P.O. Mashobra Shimla-7.	30000
				प्रतिभुति राशि 10 %	3000
				विक्री कर 2 %	600
				आयकर 2 %	600
				लेबर सैस 1 %	300
			कटौतियों की कुल राशि		**4500**

इस प्रकार ठेकेदार के भुगतान बिल से संवैधानिक कटौतियौं न करने के कारण सरकारी राजस्व को हानि हुई, जिसका स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए तथा भविष्य में निर्माण कार्यों के भुगतान के समय सभी संवैधानिक कटौतियां करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

(च) निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाली सामग्री की खपत का अभिलेख न रखना

पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्री जैसे सीमेंट, सरिया, रेत बजरी इत्यादि की आपूर्ति हेतु लाखों रूपये की राशि व्यय की जा रही है परन्तु क्रय की गई सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं की जा रही है तथा सामग्री की वास्तविक खपत से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख तैयार नहीं किया जा रहा है, जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं किया जा सका की किस कार्य हेतु कितनी सामग्री की खपत हुई है तथा किसी तिथी विशेष को कितनी मात्रा शेष थी। इस प्रकार अभिलेख को उचित प्रकार से तैयार न करने के कारण स्टॉक में दुःर्विनियोजन से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः क्रय की जा रही सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी सुनिश्चित की जाए तथा उसकी वास्तविक खपत व अन्त शेष का भी अभिलेख तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

15 **लघु आपति विवरणिका :–** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई ।

16 **निष्कर्ष :–** लेखों के रख रखाव में नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा इसमें अत्याधिक सुधार की आवश्यकता है ।

हस्ता / –
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन सं0 :फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(1)11 / 2016–खण्ड–1–4556–4559 दिनांक 26.08.2016 शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0।
3. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड मशोबरा, जिला शिमला, हि0प्र0।

पंजीकृत 4. सचिव, ग्राम पंचायत मूलकोटी, विकास खण्ड बलदेयाँ, जिला शिमला, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता / –
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

1.Own resource + Mics. Grants

Sr. No	Bill No/Date	month	Name of Item	Name of firm	Amount
1	105	3/14	C/O Road from Nawan to Ghyabu	Sanjay Dangi H.Q. Mashobra P.O. Mashobra Shimla-7.	30000
2. MGNAREGA:-					
2	054 9-4-15	8/15	Sand 120 cft	M/S Vinod Kumar Dhrog Shimla.	3810
3	209 6-5-15	8/15	Sand 120 cft	M/S Bhajan Dangi Goods Carrier Naroti Shimla.	3406
4	53 2-4-15	8/15	Sand 120 cft	M/S Vinod Kumar Dhrog Shimla.	3810
5	271 9-5-15	8/15	Sand 120 cft	M/S Vinod Kumar Dhrog Shimla.	3972
6	128 3-6-15	8/15	Sand 120 cft	M/S R.K. Goods Carrier Vill. Chowki Shimla	3574
7	130 3-6-15	8/15	Sand 120 cft	M/S R.K. Goods Carrier Vill. Chowki Shimla	3846
8	127 2-6-15	8/15	Sand 120 cft	M/S R.K. Goods Carrier Vill. Chowki Shimla	4190
9	276 15-5-15	8/15	Sand 120 cft	M/S Vinod Kumar Dhrog Shimla.	3040
11	060 27-4-15	8/15	Sand 150 cft	M/S Vinod Kumar Dhrog Shimla.	2874
12	277 15-5-15	8/15	Sand 120 cft	M/S Vinod Kumar Dhrog Shimla.	3798
				Total	**66320**

...